

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1


लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2012

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों में अनियमित ढंग से नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त किया जाना।

महोदय,

प्रदेश की नागर निकायों में अनियमित एवं मनमाने ढंग से रखे गये संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने विषयक शासनादेश संख्या-104 म.न. वि/9-1-12-203 सा/10, दिनांक 23 जुलाई, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश, नियमानुसार संविदा पर रखे गये सफाई कर्मियों पर लागू नहीं होगा।


2. शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2012 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3182 (1)/9-1-2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उ.प्र.द्वारा जिलाधिकारी।
3. गार्ड बुक।
- 4- वेब मास्टर

आज्ञा से,

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।